भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 774
उत्तर देने की तारीख 07.12.2023

एमएसएमई क्षेत्र में विदेशी निवेश

774. श्रीमती पूनम महाजन:
सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में विदेशी निवेश की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यवहार्यता की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में विदेशी निवेश के लाभ और हानि के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में व्यवहार्यता, आय और रोजगार में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक समर्थकारी नीति है, जो पात्र निवेश प्राप्तकर्ता संस्थाओं के पैमाने और आकार पर ध्यान दिए बिना समान रूप से लागू होती है। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें कुछ कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/कार्यकलापों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित अधिकांश क्षेत्र/कार्यकलाप क्षेत्रीय कानूनों, विनियमों/नियमों, सुरक्षा स्थितियों और राज्य/स्थानीय/कानूनों/विनियमों के अधीन स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं।

(ख) एवं (ग) मंत्रालय द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से एमएसएमई क्षेत्र में विदेशी निवेश के लाभों और हानियों पर किसी विशेष अध्ययन का संचालन नहीं किया गया है।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और रैम्प (एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) शामिल हैं।

इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रु. (दिनांक 01.04.23 से) की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण।

ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी संचार। इस स्कीम में भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रु. के कोष का प्रावधान है।

iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।

iv. व्यवसाय करने की आसानी के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रु. तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

vi. दिनांक 02.07.21 से खुदरा एवं थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेश।

vii. एमएसएमई के दर्जे में ऊपर की ओर बदलाव की स्थिति में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभ प्रदान किया गया।

viii. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।

ix. श्रम और रोजगार मंत्रालय के उद्यम पोर्टल और राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर रोजगार चाहने के इच्छुक लोगों की खोज करने में सक्षम हैं।

x. विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत, एमएसएमई को कटौती की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति, निविदा प्रतिभूति और परिसमाप्त क्षतियों के 95% के प्रतिदाय के माध्यम से राहत प्रदान की गई थी। अनुबंधों के निष्पादन में चूक के कारण वंचित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई।

xi. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) की शुरुआत।

xii. 18 व्यवसायों में लगे परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का शुभारंभ।

****